न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना, (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)
राजस्व आवेदन संख्या :— 65/2019

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. प्रेमाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई, निवासी खरड़, तहसील–धोरीमन्ना, जिला–बाड़मरे।		1. हरीराम पुत्र कानाराम 2. चौथाराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई 3. रावाईराम पुत्र ठाकराराम जाति सुथार 4. बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल 5. हीराराम पुत्र ठाकराराम 6. झीमोंदेवी पत्नी ठाकराराम जाति सुथार 7. मांगीलाल पुत्र रामलाल जाति विश्नोई, निवासियान खरड़, धोरीमन्ना, तहसील– धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने नक्शा (लट्ठा ट्रेस) में तरमीम दुरस्ती

तारीख रजू : 11/6/19

अधिवक्तागण :— श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी।

—: : *निर्णय* : :—

दिनांक : 02/01/24

प्रार्थी के खातेदारी का खेत मौजा खरड़ पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 589 रकबा 04.08 बीघा की आई हुई है जो भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त भूमि है, जिस पर प्रार्थी की रहवांसी ढाणी, टांके, पशु बाड़े बने हुए हैं। उक्त खसरांन की नकल चालू जमाबंदी एवं आंशिक नक्शा साथ पेश है। प्रार्थी का सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा नम्बर 589/4 रकबा 04.08 बीघा, विप्रार्थी संख्या 3 से 7 का खसरा नम्बर 589/3 रकबा 01 बीघा के आए हुए हैं। वादग्रस्त भूमि का मूल खसरा नम्बर 589 रकबा 16.01 बीघा का था जिसके मध्य से सड़क मार्ग निकलने के कारण उक्त भूमि के टुकड़े हो गए, जिस कारण सड़क मार्ग के खसरा नम्बर 589/1 रकबा 04.05 बीघा कायम हुए तथा मूल खसरा ... का अलग–अलग टुकड़ों में तरमीम की गई जो तरमीम मौके पर प्रार्थीगण के ... जमाबंदी में अंकित रकबे के अनुसार नहीं कर कम ज्यादा ... गई। राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों ने मौके की जांच किए बिना ही गलत ... व ज्यादा रकबे की तरमीम कर

02/01/24
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दी गई है जिस कारण प्रार्थी के खसरा नम्बर 589 राजस्व रेकर्ड में 04.08 बीघा है परन्तु लट्ठा ट्रेस में 05.16 बीघा की गलत तरमीम कर दी गई. इसी प्रकार खसरा नम्बर 589/2 व 589/3 दोनों संयुक्त रकबा 03 बीघा ही है परन्तु लट्ठा ट्रेस में 03 बीघा के स्थान 06 बीघा भूमि की गलत तरमीम कर दी गई तथा राजस्व जमाबंदी में खसरा नम्बर 589/4 रकबा 04.08 बीघा दर्ज है लेकिन लट्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर 589/4 दर्ज ही नहीं है तथा न ही अलग तरमीम है. इस प्रकार मौके की स्थिति, राजस्व जमाबंदी व लट्ठा ट्रेस की तरमीम में भारी भिन्नता है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों की वीच तरमीम भी हुई है परन्तु लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में अन्तर है तथा प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नहीं की गयी तथा राजस्व अधिकारियों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किए बिना गलत तरमीम कर दी है, जिसे प्रार्थी दुरस्त करवाने का विधिक अधिकारी है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर मौजूद कब्जा काश्त के अनुसार नहीं करके गलत (अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात लट्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त खेत के मौके के कब्जा काश्त में भिन्नता है, इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त खेत के कब्जा काश्त व राजस्व जमाबंदी के इन्द्राज के अनुसार तरमीम शुद्धिकरण करवाना चाहता है, जिस हेतु यह तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पेश है। प्रार्थी के पुराने कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु वादग्रस्त खेत की मौके पर कब्जा काश्त की जांच किए बिना ही लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई जो मौके पर वर्तमान कब्जा काश्त के अनुसार नहीं की गई है। जबकि मौके पर लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है इसलिए प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम करवाना चाहता है। विवादित भूमि मौजा खरड़ तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क स्टाम्प 2/– रुपए का साथ पेश है। अतः श्रीमान् जी के समक्ष तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा खरड़ पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 589 रकबा 04.08 बीघा व विप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा नम्बर 589/4 रकबा 04.08 बीघा, विप्रार्थी संख्या 3 से 7 का खसरा नम्बर 589/2 रकबा 02 बीघा व विप्रार्थी संख्या 2 का खसरा नम्बर 589/3 रकबा ... बीघा की लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरस्त कर मौके पर ... के अनुसार व राजस्व जमाबंदी में अंकितानुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम (शुद्धिकरण) करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

02/01/24

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। दिनांक 06.09.2022 को विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार धोरीमन्ना से पत्र क्रमांक भू.अ./2022/1213 दिनांक 21.06.2022 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौके पर प्रार्थी प्रेमाराम व मौतबरान के रूबरू प्रार्थी का खसरा संख्या 589 प्रतिवादीगण के खसरा सं. 589/2, 589/3, 589/4 व सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क का खसरा सं. 589/1 का मौका निरीक्षण किया गया, मूल खसरा संख्या 589 को राजस्व नक्शे से चिन्हित कर खसरा सं. 589 का क्षेत्रफल गणना की गई, इसके अंदर प्रार्थी व विप्रार्थीगण के कब्जे की जांच की गई तथा इनके द्वारा धारित कब्जे के क्षेत्रफल की गणना की गई, जिससे ज्ञात हुआ कि मूल खसरा संख्या 589 का जमाबंदी में रकबा 16.01 बीघा अंकित है। (मूल खसरा से विभाजित खसरा सं. 589, 589/1, 589/2, 589/3, 589/4 को जोड़ने से) जबकि नक्शे की सीमाओं के अनुसार यह क्षेत्रफल 11-13 बीघा होता है, इस प्रकार नक्शा अनुसार क्षेत्रफल जमाबंदी में अंकित रकबे का 72.5 प्रतिशत है। संलग्न नक्शा पैराशिष्ट 'ए' के अनुसार खसरा सं. 589, 589/2, 589/3, 589/4 व 589/1 को तरमीम वर्तमान में लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में दर्ज है। मौके पर कब्जा काश्त व ढाणी सेढ़ों के अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'बी' में खसरा सं. 589, 589/1, 589/2, 589/3 व 589/4 की अवस्थिति अलग-अलग रंगों से दर्शित की गई है। जिसके अनुसार खसरा सं. 589/4 की स्थिति तरमीम अनुसार सही है व इसका रकबा अनुपातिक रूप से सही है। इसी प्रकार खसरा सं. 589/1 सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क की तरमीम भी मौका अनुसार सही है। शेष खसरा संख्या 589, 589/2, 589/3 की तरमीम परिशिष्ट 'बी' अनुसार दुरस्त किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि प्रार्थी प्रेमाराम की खातेदारी वर्तमान में एक खसरे (खसरा सं. 589) में दर्ज है। जबकि मौके पर भौतिक रूप से प्रार्थी का कब्जा व काश्त दो टुकड़ों में है, जिससे उक्त खसरा दो भागों में विभाजित किया जाना प्रस्तावित है तथा मूल खसरे का रकबा जमाबंदी में अंकित रकबे से कम होने से आनुपातिक क्षेत्रफल अनुसार निम्न अनुसार दोनों टुकड़ों का रकबा दर्ज कर तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।

प्रस्तावित स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'बी' में ... दर्शित है। इस प्रकार ख. सं. 589 को दो भागों में विभाजित ... खसरा सं. 589/3 व 589/2 की तरमीम भी विस्थापित किया जाना प्रस्तावित ... जिससे मौका अनुसार रेकर्ड दुरस्त हो सकेगा। मौका फर्द व मौका कब्जा अनुसार नक्शा तैयार किया गया, जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

02/01/24

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

पढ़कर सुनकर व देखकर सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किए, की रिपोर्ट शामिल मिसल की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन रेकर्ड दुरस्ती का तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार हम प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम खरड़ पटवार मण्डल धोरीमन्ना के खसरा संख्या 589 रकबा 4.08 बीघा, खसरा संख्या 589/4, खसरा संख्या 589/2, खसरा संख्या 589/3 की तरमीम शुद्धिकरण करने के आदेश दिये जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्र कमांक भू.अ./2022/1213 दिनांक 21.06.2022 के संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड में अलमदरामद करने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग व अंश रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

02/01/24

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक– 02/01/24 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

02/01/24

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner